



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-07.02.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-151/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त परवेज उर्फ पासी पुत्र रमज़ान निवासी धमरिया थाना लोहता जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-07.02.2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-14 F.C. जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त परवेज उर्फ पासी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।